मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. व अन्य

बनाम

मेसर्स सुपर हाईवे सर्विसेस व अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 104 वर्ष 2010)

19 फरवरी, 2010

(अलतमस कबीर व साईरियेक जोसेफ, जेजे.)

अनुबंध-पेट्रोल व डिजल की आपूर्ति व खुदरा बिक्री हेतु डीलरशिप समझौता- याचिकाकर्ता कार्पोरेशन के द्वारा रद्द- नमूना प्रयोगशाला परीक्षण के निष्कर्षो के आधार पर-वैद्यता - अभिनिर्धारित -अवैध अयाचिकाकर्ता डीलर को ऐसे परीक्षण के संबंध में नोटिस दिये जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओ ने प्रासंगिक दिशानिर्देशो का पालन नहीं किया - परीक्षण अयाचिकाकर्ता की पीठ के पीछे संचालित किया गया - इससे इसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ -इस प्रकार डीलरशिप समझौते को रद्द करना मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धातो को उल्लघंन था।- प्राकृतिक न्याय

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 136-नवीन याचिका - डीलरशिप समझौते की समाप्ति - डीलर की याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा

स्वीकृत- याचिकाकर्ता कार्पोरेशन द्वारा आदेश को चुनोती दी गयी- इसमें तर्क प्रस्तुत किया गया कि डीलरशिप समझौते में एक विशिष्ट खण्ड के मद्देनजर डीलर को रिट न्यायालय के समक्ष अनुतोष प्राप्त करने से वर्जित कर दिया गया था -पोषणीयता - अभिनिर्धारित- अपोषणीय- याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए थी - किसी भी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देकर -याचिकाकर्ता द्वारा भी बिना किसी आपत्ति के रिट न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हवाला दिया है।

याचिकाकर्ता निगम के द्वारा डिजल, पेट्रोल इत्यादि की आपूर्ति व खुदरा बिक्री हेतु अयाचिकाकर्ता सं. 1 के साथ समझौता निष्पादित किया गया। दोनो पक्षकार तीन माह का नोटिस लिखित में देकर समझौते को रद्द करने हेतु स्वतंत्र थे। यह समझौता, याचिकाकर्ता कार्पोरेशन को, समझौते के क्रमांक 58 में अंकित स्थितियां उत्पन्न होने पर, पूर्व में भी समझौते को रद्द करने के अधिकार प्रदान करता है।

अयाचिकाकर्ता सं. 1 कंपनी के आउटलेट पर एक जॉच की गई, जहां हाई स्पीड डीजल (H.S.D.) का एक नमूना मार्कर परीक्षण में विफल रहा, जिससे ज्ञात हुआ कि वह दुषित हो गया था। इसके पश्चात् (H.S.D.) का नोजल परीक्षण करवाया गया। परीक्षण के परिणाम के आगे अयाचिकाकर्ता सं. 1 को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया कि मार्कर परीक्षण विफल

हो जाने से क्यों ना उनकी डीलरशिप रद्द कर दी जावे। अयाचिकाकर्ता सं. 1 के द्वारा मार्कर परीक्षण से उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द किये जाने हेतु उचित रिट जारी करने की प्रार्थना की जाकर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी। इसी के मध्य, याचिकाकर्ता निगम ने अयाचिकाकर्ता सं. 1 के द्वारा कारण बताओ नोटिस के भेजे गये जवाब पर विचार करने के पश्चात्, खण्ड 58(1) के तहत अयाचिकाकर्ता सं. 1 की डीलरशिप समझौते को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि अयाचिकाकर्ता सं.-1 को उचित सूचना/नोटिस दिये बिना पुनः परीक्षण किया गया था, जिससे विपणन अनुशासन दिशानिर्देशो के अनुसार अयाचिकाकर्ता सं.-1 हेतु गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ, जिस कारण डीलरशिप अनुबंध की समाप्ति का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता। अतः वर्तमान अनुमति याचिका।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि -

1.1 तत्काल प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में, तामील से संबंधित साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा उत्पन्न नहीं होती है कि अयाचिकाकर्ता सं.-1 पर तामील की गयी थी। हस्तलिखित नोटिस पर एक 'डी' की तस्दीक के अतिरिक्त ए के रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हैं, जो यह प्रकट करता हो कि

अयाचिकाकर्ता सं.-1 को नोटिस भेजा गया था, जो उसके द्वारा अस्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा, अयाचिकाकर्ता सं. 1 के द्वारा लगाये गये आरोपो को नासाबित करने हेतु ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अयाचिकाकर्ता सं.-1 के प्रतिनिधि को जो नोटिस दिया गया था, वह उस तरीक व प्रारुप में नहीं था, जैसे नोटिस डीलर को दिया जाना आवश्यक है। जिससे यह स्पष्ट है कि इसे यह बताने के लिए जल्दबाजी में बताया गया जिससे यह प्रतीत हो कि अयाचिकाकर्ता सं.-1 पर तामील का प्रयास किया गया। [**Para** 16] [1067-**A**-**F**]

1.2 पक्षकार के डीलरशिप समझौते को रद्द करना एक गंभीर मामला है, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। समझौते की ऐसी समाप्ति के लिए की गई कार्रवाई को उचित ठहराने हेतु संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा तथा उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा। व्यथित व्यक्ति को उसके डीलरशिप अनुबंध को समाप्त करने से पहले नोटिस की गैर-सेवा भी इस सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि किसी भी व्यक्ति की बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह सुनिश्चित करे कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 को सुनने का मौका दिया गया या कम से कम उसके समझौते को समाप्त करने से पहले कार्यवाही की सूचना देने के गंभीर प्रयास किए गए। [**Para** 17] [1067-**G**-**H**; 1068-**A**]

1.3 तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अयाचिकाकर्ता सं.-1, द्वारा दायर रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुवे अनुमति देने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है, की अयाचिकाकर्ता सं.-1 को संचालित किए जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षण की सूचना नहीं दी गई थी, जिससे अयाचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ क्योंकि उसका डीलरशिप समझौता ऐसे परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रद्द कर दिया गया। यह माना जाता है कि डीलरशिप अनुबंध इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता निगम द्वारा उत्पाद की, की गई आपूर्ति को अयाचिकाकर्ता द्वारा दूषित किया गया था। इस तरह के संदूषण को प्रयोगशाला में टी.टी. प्रतिधारण नमूने का परीक्षण करके साबित करने की मांग की गई थी। निगम द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर को परीक्षण के संबंध में पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए ताकि परीक्षण आयोजित होने पर वह या उसका प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकें। उक्त आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है और डीलरशिप समझौते को समाप्त करने के मामले में निष्पक्षता की आवश्यकता हो इसे कोरी औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता। डीलर को पर्याप्त समय से पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए ताकि उसे परीक्षण के दौरान अपनी उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिल सके और डीलर को नोटिस की ऐसी तामील के लिए स्वीकार्य साक्ष्य होना चाहिए। यदि यह परीक्षण, डीलर के पीछे आयोजित किया जाता है तो परीक्षण के संचालन में हेरफेर की

संभावना को देखते हुए उपरोक्त आवश्यकता का कड़ाई से पालन आवश्यक है ।[**Para** 018] [1068-8-**F**]

1.4 तत्काल मामले में, यह साबित करने के लिए कोई भी स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है की अयाचिकाकर्ता पर नोटिस की तामील की गई थी या अयाचिकाकर्ता द्वारा नोटिस से इन्कार कर दिया गया था । इसके अलावा, दिनांक 28.05.2008 का नोटिस, जिसे अयाचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था, ने उसे 29.05.2008 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने वाले परीक्षण के दौरान अपनी या अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कथित इन्कार के संबंध में पृष्ठांकन दिनांक 29.05.2008 का ही है। इस प्रकार, की अयाचिकाकर्ता के डीलरशिप समझौते की समाप्ति मनमानी, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है [**Para** 18] [1168-**G-H**; 1169-**A**]

इन्डियन ऑयल कोपोर्रेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस व अन्य (1991) 1 **SCC** 533; *श्रीमती संजना एम. विग बनाम हिन्दुस्तान पेट्रो कोपोर्रेशन लिमिटेड* **AIR** 2005 **SC** 3454 *तथा हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड व अन्य* (2005) 6 **sec** 499 (के संदर्भ में)

2. हालाँकि, डीलरशिप अनुबंध का खंड 68 मध्यस्थता को संदर्भित करता है, परंतु उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रश्न नहीं उठाया गया था। अब याचिकाकर्ता निगम के लिए यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि समझौते के खंड 68 अनुसार अयाचिकाकर्ता सं.-1, रिट न्यायालय के समक्ष इसका अनुतोष माँगने का अधिकारी नहीं था। किसी भी स्थिति में, एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करके याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के रिट न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी प्रस्तुत किया है [Para 19] [1069-B-C]

Case Law Reference:

(1991) 1 **SCC** 533	(के संदर्भ में)	**Para** 8
AIR 2005 **SCC** 3454	(के संदर्भ में)	**Para** 9
(2005) 6 **SCC** 499	(के संदर्भ में)	**Para** 10

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकारः एसएलपी (सिविल) संख्या 14 वर्ष 2009

पटना उच्च न्यायालय के एलपीए वर्ष 2008 संख्या 890 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21-12-2008 से।

यू.यू.ललित, संजय कपूर, राजीव कपूर, सुभाष् कपूर, आरती सिंह याचिकाकर्ता की और से

रमेश पी. भट्ट, रवि भूषण, मोहित कुमार शाह-अयाचिकाकर्ता की और से

यह निर्णय श्री अलतमस कबीर जे. के द्वारा सुनाया गया।

1. इस विशेष अनुमति याचिका में यह प्रश्न शामिल है कि क्या अयाचिकाकर्ता सं. 1 की डीलरशिप पक्षकारो के बीच 30 अगस्त, 2003 को निष्पादित डीलरशिप समझौते के खंड 58 के अनुसार वैध रूप से समाप्त कर दी गई थी। इसके अलावा, इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या समझौते की समाप्ति खुदरा दुकानों में मार्कर टेस्ट आयोजित करने की प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुरूप थी।

2. उपरोक्त समझौते के आधार पर, याचिकाकर्ता निगम ने प्रश्नगत परिसर में पेट्रोल, डीजल, मोटर तेल, ग्रीस और ऐसे अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री या आपूर्ति के लिए जो निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, अयाचिकाकर्ता सं. 1 के साथ एक समझौता किया। यह समझौता 30 अगस्त, 2003 से 15 वर्षों तक लागू रहना था। हालाँकि, दोनों पक्ष बिना कोई कारण बताए समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में दूसरे को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर समझौते का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे और इस तरह के नोटिस की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति से पहले के किसी भी मामले या चीज़ के संबंध में किसी

भी पक्ष के दूसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समझौता रद्द कर दिया जाएगा। यह भी संकेत दिया गया था कि इस तरह की स्वतंत्रता समझौते के खंड 58 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने पर निगम के समझौते को पहले ही समाप्त करने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। समझौते के खंड 4 में प्रावधान है कि संगठन के उपयोग के लिए दिया गया लाइसेंस और अनुमति समझौते की समाप्ति पर या उसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन पर तुरंत समाप्त हो जाएगी। समझौते के खंड 58 के प्रासंगिक भाग को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है-

"58. यहां किसी भी विपरीत बात के बावजूद निगम निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर या उसके बाद किसी भी समय इस समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, अर्थात्

(a) यदि डीलर समझौते में निहित अनुबंध और शर्तें में से किसी का भी उल्लंघन करेगा और उस संबंध में निगम से लिखित नोटिस प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर ऐसे उल्लंघन का समाधान करने में विफल रहेगा

(b)...
....

(c)...
....

(d)..

....

(e)..

....

(f)...

....

(g)..

....

(h)..

....

(i) यदि डीलर निगम द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को दूषित या छेड़छाड़ करेगा।

(j)...

....

(k)..

....

(l)...

....

(m) यदि व्यापारी स्वयं या अपने सेवकों द्वारा या एजेंट के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं या भुगतते हैं जो निगम या उसके उत्पादों के हित या अच्छे नाम के लिए प्रतिकूल है,निगम के उस समय के मुख्य वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, जो कि पटना में है, की राय में, इस का निर्णय अंतिम होगा, मुख्य वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसे निर्णय का कारण देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

3. 26 मई, 2008 को अयाचिकाकर्ता सं.1 कंपनी के आउटलेट पर एक जांच की गई, जहां हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का एक नमूना मार्कर परीक्षण में विफल रहा, जिसने संकेत दिया कि वह दूषित हो गया था। उसी दिन, याचिकाकर्ता निगम के अधिकृत प्रतिनिधि, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड ने इस तरह के संदूषण का संकेत देते हुए मार्कर परीक्षण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तदनुसार, यहां ऊपर उल्लिखित विपणन के अनुशासनात्मक दिशानिर्देश, के संदर्भ में, 27 मई, 2008 को, नमूना विफलता के कारण याचिकाकर्ता निगम द्वारा अयाचिकाकर्ता सं. 1 के आउटलेट से सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति निलंबित कर दी गई थी। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार, अगले ही दिन 28 मई, 2008 को अयाचिकाकर्ता सं. 1 को नोटिस दिया गया कि 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर एचएसडी का नोजल टेस्ट आयोजित किया जाना था। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार, अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, याचिकाकर्ता निगम के एरिया सेल्स मैनेजर का आरोप है कि उसने 29 मई, 2008 को बरौनी

टर्मिनल पर आयोजित होने वाले नोजल टेस्ट के बारे में अयाचिकाकर्ता सं. 1 को टेलीफोन पर सूचित किया था। नोटिस दिए जाने के बावजूद, जब एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि, याचिकाकर्ता का एजेंट, प्रबंधक बरौनी टर्मिनल, ट्रांसपोर्टर का प्रतिनिधि और याचिकाकर्ता का एरिया सेल्स मैनेजर की उपस्थिति में बरौनी टर्मिनल पर 29 मई, 2008 को तुलनात्मक परीक्षण बरौनी में आयोजित किया गया था तो उक्त अयाचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। परीक्षण के परिणाम के अलावा, अयाचिकाकर्ता सं. 1 को 14 जुलाई, 2008 को एक नोटिस दिया गया, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि विफल मार्कर टेस्ट के कारण उसकी डीलरशिप रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार अयाचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा 21 जुलाई 2008 को भेजा गया जवाब पूरी तरह से अस्पष्ट था। इसके तुरंत बाद, अयाचिकाकर्ता सं. 1 ने 2008 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11172 के तहत एक रिट याचिका,दायर कि जिसमें मार्कर टेस्ट से उत्पन्न होने वाली पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित रिट जारी करने की प्रार्थना की गई थी। 9 सितंबर, 2008 को, याचिकाकर्ता निगम ने अयाचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस पर भेजे गए, उसके जवाब पर विचार करने पर, खंड 58(1) के तहत अयाचिकाकर्ता सं. 1 के डीलरशिप समझौते को समाप्त कर दिया।

4. 25 सितंबर, 2008 को याचिकाकर्ता निगम की ओर से रिट याचिका में एक जवाबी शपथ पत्र, नोजल सैंपल और टीआईटी रिटेंशन सैंपल टेस्ट जो 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर आयोजित किया जाना था, के बारे में सूचित किया जाने के, नोटिस को 28 मई 2008 को अयाचिकाकर्ता संख्या-1 की ओर से स्वीकार करने से इनकार करने का उल्लेख करते हुए दायर किया गया था।

5. 15 अक्टूबर, 2008 को विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा अयाचिकाकर्ता संख्या 1 की रिट याचिका को अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए अनुमति दी गई कि केवल शपथ पत्र पर यह कथन किये गये है कि अयाचिकाकर्ता संख्या 1 की तमिल करने का असफल प्रयास किया गया था, डीलरशिप समझौता की समाप्ति जैसा कठोर कदम उठाने के लिए अपर्याप्त था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही अयाचिकाकर्ता सं. 1 ने नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता था और परीक्षण में देरी हो सकती थी, क्योंकि इसमें कोई तात्कालिकता शामिल नहीं थी, जैसा कि किसी भी घटना में होता है। अयाचिकाकर्ता क्रमांक 1 का पंप सील कर दिया गया था। उपरोक्त के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 के बताये अनुसार, 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर आयोजित होने वाले परीक्षण के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के के द्वार यह भी

मुल्यांकन किया गया की अयाचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से यह दावा किया गया था कि जिस व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि उसने अयाचिकाकर्ता सं. 1 को पत्र भेजा था, वह 29 मई 2008 को बरौनी में नहीं था, जबकि प्रस्तुत किया गया है की अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि ने पत्र लेने से इनकार कर दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार अयाचिकाकर्ता सं. 1 को उचित सूचना दिए बिना पुनः परीक्षण किया गया था, जिससे अयाचिकाकर्ता सं. 1 पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसे समाप्त करने का आदेश दिया गया। इसलिए डीलरशिप समझौता दिनांक 9 सितंबर, 2008,कायम नहीं रखा जा सका।

6. याचिकाकर्ता निगम की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यू.यू. ललित ने प्रस्तुत किया कि नोजल परीक्षण अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि की उपस्थिति में साइट पर आयोजित किया गया था और ट्रांसपोर्टर और नमूने साइट पर परीक्षण के लिए और भविष्य के परीक्षण के लिए भी, पक्षकारो की उपस्थिति में लिए गए । चूंकि अयाचिकाकर्ता सं. 1 नोजल टेस्ट के दौरान मार्कर टेस्ट में विफल रहा, इसलिए पहले लिए गए नमूनों को क्रॉस-चेकिंग के लिए बरौनी स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया था। श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 और ट्रांसपोर्टर दोनों को विधिवत नोटिस दिया गया था, लेकिन जब ट्रांसपोर्टर का प्रतिनिधि मौजूद था, तो अयाचिकाकर्ता सं. 1

ने प्रयोगशाला में मार्कर परीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहना चुना। श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि 14 जुलाई, 2008 को अयाचिकाकर्ता सं. 1 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि ने 28 मई, 2008 के नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और जिससे याचिकाकर्ता निगम के पास ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बरौनी में मार्कर परीक्षण के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि जब अयाचिकाकर्ता सं. 1 प्रयोगशाला में भी मार्कर परीक्षण में विफल रहा, तो याचिकाकर्ता निगम के पास अयाचिकाकर्ता सं. 1 के साथ समझौते को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री ललित ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि सभी नमूने याचिकाकर्ता निगम के कर्मचारियों द्वारा नहीं, बल्कि उसके अधिकृत एजेंट, एमआईएस एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए/एकत्र किये गये थे।

7. श्री ललित ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता निगम और अयाचिकाकर्ता सं. 1 के बीच समझौते के खंड 68 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के समक्ष उसके रिट क्षेत्राधिकार में कार्यवाही दूषित हो गई है, जो किसी भी प्रकार के विवादों या मतभेदों के संबंध में या समझौते से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में किसी भी पक्ष के बीच किसी अधिकार, दायित्व, कार्य या चूक से संबंधित मध्यस्थता के लिए प्रदान करता है और उसे निगम के प्रबंध निदेशक या निगम के किसी अधिकारी

का, जिसे प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किया जा सकता है, एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना था। श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता खंड का सहारा लिए बिना, अयाचिकाकर्ता सं. 1 रिटेल आउटलेट के संचालन के संबंध में अपने समझौते को समाप्त करने वाले आदेश के खिलाफ रिट कोर्ट में जाने के लिए कानूनी रूप से अधिकारी नहीं था।

8. अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री ललित ने सबसे पहले *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस व अन्य* [(1991) 1 एससीसी 533] मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और उस पर भरोसा किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत दिए गए एक पंचाट को चुनौती दी गई थी और यह माना गया था कि भले ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एलपीजी की बिक्री के समझौते को समाप्त करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं था, परंतु अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा खण्ड 8 के तहत समाप्त किया जा सकता था और इसलिए, एकमात्र राहत जो दी जा सकती थी वह नोटिस की अवधि के लिए कमाई के नुकसान के लिए मुआवजा देना था, न कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बहाली।

9. *श्रीमती संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड* [एआईऔर 2005 एससी 3454] में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें यह न्यायालय एक पेट्रोल पंप डीलरशिप की समाप्ति

पर विचार कर रहा था। उक्त मामले में, रिट याचिका पर की गई आपत्तियों में से एक यह थी कि उक्त क्षेत्राधिकार को गलत तरीके से लागू किया गया था क्योंकि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था और समाप्ति से संबंधित प्रश्न पक्षकारो के बीच अनुबंध से उत्पन्न होने वाले तथ्य के गंभीर सवालों को जन्म देते हैं। जिस पर सामान्यतः रिट न्यायालय विचार करने का अधिकारी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिका उचित उपाय नहीं है और वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से उच्च न्यायालय के इनकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अमृतसर गैस सर्विस के मामले सहित इसी तर्ज पर कई निर्णयों को इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सचेत होने पर उक्त निर्णय पर पहुंचने पर विचार किया गया था कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर केवल सार्वजनिक कानून कि प्रकृति का प्रश्न शामिल हो, तो रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है।

10. हालाँकि, श्री ललित ने बताया कि इस न्यायालय द्वारा *हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड व अन्य* [(2005) 6 एससीसी 499] मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें यह सवाल था कि क्या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए, जब एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, विचार के लिए आया और यह माना गया कि वैकल्पिक उपाय से संबंधित शक्ति स्व-लगाए गए सीमा का एक नियम है। यह मूलतः नीति, सुविधा और

विवेक का नियम है, कानून का शासन नहीं है। यह भी माना गया कि वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देना उच्च न्यायालय के विवेक के अंतर्गत है, हालांकि, यदि पर्याप्त प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था तो उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। श्री ललित ने यह भी बताया कि चूंकि *गुजरात अंबुजा सीमेंट* के मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की थी। *एमआईएस अंकुर फिलिंग स्टेशन बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य एसएलपी* (सी) सं. 11193/2009,के मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ की राय थी कि समान स्थिति में एक रिट याचिका पर विचार करने और स्वयं आपूर्ति की बहाली का निर्देश देने के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न, एक रिट पर विचार करने का आधार नहीं हो सकता है, खासकर जब ऐसी स्थिति में याचिका का समाधान सिविल मुकदमा दायर करने से भी हो सकता है। तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा लिए गए पहले के दृष्टिकोण के आधार पर नोटिस जारी करते समय यह महसूस किया गया कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका को उचित आदेश के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। श्री ललित ने हमें सूचित किया है कि अभी भी वही स्थिति में लंबित है।

11. श्री ललित ने प्रस्तुत किया कि अयाचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने में विफलता को देखते हुए, रिट याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

12. श्री ललित की दलीलों का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश पी. भट्ट ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया इस तथ्य के कारण दूषित हो गई थी कि 25 दिसंबर, 2008 को बताया जाता है की बरौनी टर्मिनल पर आयोजित परीक्षण के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा अयाचिकाकर्ता संख्या 1 को नोटिस दिया गया था, जिसकी तमिल अयाचिकाकर्ता संख्या 1 पर हुई ही नहीं और इसलिए, वह इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि ऐसा परीक्षण आयोजित किया जाना था। श्री भट्ट ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह अयाचिकाकर्ता सं. 1 का रुख था कि वास्तव में 26 मई, 2008 को रिटेल आउटलेट पर कोई मार्कर टेस्ट आयोजित नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 30 मई 2008 के पत्र द्वारा, अयाचिकाकर्ता सं. 1 ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित किया कि, यद्यपि एस.जी.एस. इंडिया प्रा. लिमिटेड का प्रतिनिधि 26 मई 2008 को वितरण इकाई से एमएस और एचएसडी के नोजल नमूने का मार्कर परीक्षण करने के लिए रिटेल आउटलेट पर आया था,ऐसा परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि एमएस और एचएसडी दोनों के संबंध में खुदरा आउटलेट सूखा था, जिससे उक्त उत्पादों की वितरण इकाइयों के नोजल से नमूने लेना असंभव हो गया।

इसी तरह, भूमिगत टैंक भी सूखे थे और टैंक सं. 1 और 2 में शायद ही कोई एमएस या एचएसडी उपलब्ध था, जहां से नोजल के माध्यम से नमूने निकाले जा सकते थे। श्री भट्ट ने उक्त अयाचिकाकर्ता को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति समाप्त करने के खिलाफ अयाचिकाकर्ता सं. 1 की ओर से लिखे गए विरोध के कई अन्य पत्रों की ओर भी इशारा किया और अनुरोध किया कि इसे तुरंत बहाल किया जाए।

13. इसके बाद श्री भट्ट ने 25 जून 2008 को अयाचिकाकर्ता संख्या 1 की ओर से कारण बताओ नोटिस पर दिए गए जवाब का हवाला दिया, जिसमें फिर से उपरोक्त तथ्यों को दोहराया गया था और यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की बरौनी रिफाइनरी में प्रयोगशाला परीक्षण के आयोजन के संबंध में अयाचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था। विशेष रूप से कथित नोटिस दिनांक 28 मई 2008 का हवाला देते हुए, अयाचिकाकर्ता संख्या 1 को सूचित करते हुए दिया गया था कि मार्कर टेस्ट 29 मई 2008 को बरौनी टर्मिनल पर आयोजित किया जाना था,श्री भट्ट ने बताया कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 के एक कर्मचारी द्वारा रसीद स्वीकार करने से कथित इनकार 29 मई 2008 को ही किया गया था और यह अत्यधिक संदिग्ध था कि क्या ऐसा नोटिस अयाचिकाकर्ता सं. 1 को दिया जाना था, ताकि उसके प्रतिनिधि उसी दिन बरौनी में मार्कर टेस्ट में उपस्थित हो सकें। यह भी बताया गया कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा ली गई जानकारी पर,याचिकाकर्ता निगम के एरिया सेल्स मैनेजर श्री दिलीप

कुमार दाश, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि को नोटिस दिया था, 29 मई, 2008 को बरौनी में भी मौजूद नहीं थे।

14. श्री भट्ट ने प्रस्तुत किया कि बरौनी टर्मिनल पर प्रयोगशाला परीक्षण के आयोजन के संबंध में अयाचिकाकर्ता संख्या 1 को नोटिस देने में विफल रहने पर निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया, जो याचिकाकर्ता के समझौते की समाप्ति में परिणत हुई, पूरी तरह से दूषित हो गई और उक्त निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था, जिसके निर्णय में अपील में डिवीजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

15. श्री भट्ट ने प्रस्तुत किया कि भले ही याचिकाकर्ता निगम की ओर से अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि द्वारा नोटिस स्वीकार करने से इनकार करने के संबंध में मामला दायर करने की मांग की गई है, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया गया है, की इसे पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता था और उक्त उद्देश्य के लिए मार्कर टेस्ट को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता था क्योंकि टीआईटी नमूनों या साइट पर नमूनों के किसी भी तरह से दूषित होने का तत्काल कोई खतरा नहीं था। यह बताया गया कि इस मामले में नोटिस की तामिल से संबंधित सामान्य मानदंडों का भी पालन नहीं किया गया था और उस संबंध में एक अन्य खुदरा डीलर को जारी किए गए समान नोटिस का संदर्भ दिया गया था,

अयाचिकाकर्ता सं. 1 की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र में अनुलग्नक ए-4 बनाया गया। यह बताया गया कि 23 दिसंबर 2008 के उक्त पत्र में न केवल एक संदर्भ संख्या थी, बल्कि इसे मुद्रित किया गया था और संबंधित डीलर को भेजा गया था, जबकि वर्तमान मामले में कथित तौर पर श्री डी.के.डैश द्वारा हस्तलिखित नोटिस अयाचिकाकर्ता सं. 1 को दिया गया था। इसके अलावा, इसमें कोई संदर्भ संख्या नहीं थी और हालांकि 28 मई 2008 को दिनांकित किया गया था, ऐसा बताया गया था कि इसे 29 मई 2008 को प्रस्तुत किया गया था, वही तिथि जिस दिन दोपहर 3.00 बजे बरौनी टर्मिनल में मार्कर टेस्ट होना था, श्री भट्ट ने आग्रह किया कि उक्त नोटिस स्पष्ट रूप से अयाचिकाकर्ता सं. 1 की डीलरशिप को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

16. संबंधित पक्षों की ओर से किये गए निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित विभिन्न/निर्णयों पर विचार करने के बाद,हमारा विचार है कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 की ओर से बनाया गया मामला अधिक संभावित है। हालाँकि, ट्रांसपोर्टर का प्रतिनिधि 29 मई 2008 को निर्धारित समय पर टर्मिनल पर मौजूद था, लेकिन इस संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 पर भी तामिल की गयी थी। हस्तलिखित नोटिस पर पृष्ठांकन को छोड़कर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह श्री डैश द्वारा दिया गया था, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले

कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 को नोटिस भेजा गया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया था। यह स्वीकार करना भी कठिन है कि 29 मई 2008 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने वाली परिक्षण के संबंध में, प्रस्तावित परिक्षण की तारीख पर ही अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि को उक्त नोटिस देने का प्रयास किया गया था। हालाँकि नोटिस दिनांक 28 मई 2008 का है, पर अयाचिकाकर्ता संख्या 1 के प्रतिनिधि द्वारा कि गई कथित तस्दीक दिनांक 29 मई 2008 कि है और हमारा यह मानना उचित होगा कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 इतने कम समय के नोटिस पर याचिकाकर्ता निगम के बरौनी टर्मिनल में प्रयोगशाला में प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था नहीं कर सकता था। याचिकाकर्ता द्वारा अयाचिकाकर्ता सं. 1 की ओर से लगाए गए आरोप को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 के प्रतिनिधि को कथित तौर पर दिया गया नोटिस उस तरीके और प्रारूप में नहीं था, जिसमें ऐसा नोटिस हो जो डीलर को देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि इसे यह बताने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 पर तामिल का प्रयास किया गया था।

17. किसी पार्टी के डीलरशिप समझौते को रद्द करना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह के समझौते को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए, संबंधित प्राधिकारी को उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का

निष्पक्ष और पूर्ण पालन करते हुए कार्य करना होगा। डीलरशिप अनुबंध को समाप्त करने से पहले पीड़ित व्यक्ति को नोटिस की गैर-सेवा भी इस सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि किसी भी व्यक्ति की बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता का कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि अयाचिकाकर्ता सं. 1 को सुनने का मौका दिया गया या कम से कम उसके समझौते को समाप्त करने से पहले कार्यवाही की सूचना देने के गंभीर प्रयास किए गए।

18. वर्तमान मामले में, हम श्री भट्ट की इन दलीलों से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने अयाचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है, यह मानते हुए कि बरौनी टर्मिनल पर आयोजित होने वाले प्रयोगशाला परीक्षण की सूचना अयाचिकाकर्ता सं. 1 को नहीं दी गई थी, जिससे उक्त अयाचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ऐसे परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उसका डीलरशिप समझौता समाप्त कर दिया गया था। माना जाता है कि डीलरशिप समझौता इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता निगम द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद अयाचिकाकर्ता द्वारा दूषित कर दिया गया था। बरौनी टर्मिनल की प्रयोगशाला में टी.टी. प्रतिधारण नमूने का परीक्षण करके इस तरह के संदूषण को साबित करने की मांग की गई थी। निगम द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर को परीक्षण के संबंध में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि परीक्षण आयोजित होने पर वह या

उसका प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकें। उक्त आवश्यकता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और डीलरशिप समझौते को समाप्त करने के मामले में निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुरूप है और इसे एक खाली औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता है। डीलर को पर्याप्त समय से पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए ताकि उसे परीक्षण के दौरान अपनी उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिल सके और डीलर को नोटिस की ऐसी तामिल के लिए स्वीकार्य साक्ष्य होना चाहिए। यदि परीक्षण डीलर के पीछे आयोजित किया जाता है, तो परीक्षण के संचालन में हेरफेर की संभावना को देखते हुए, उपरोक्त आवश्यकता का कड़ाई से पालन आवश्यक है। वर्तमान मामले में, अयाचिकाकर्ता पर नोटिस की तामील या अयाचिकाकर्ता द्वारा नोटिस से इनकार को साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा दिनांक 28.05.2008 का नोटिस, जिसे अयाचिकाकर्ता ने कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था, ने उसे 29.05.2008 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित होने वाले परीक्षण के दौरान अपनी या अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कथित इनकार के संबंध में पृष्ठांकन दिनांक 29.05.2008 का ही है। इस प्रकार, अयाचिकाकर्ता के डीलरशिप समझौते को समाप्त करना मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

19. हालाँकि, डीलरशिप समझौते का खंड 68 मध्यस्थता को संदर्भित करता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। याचिकाकर्ता निगम के लिए यह तर्क देने में अब बहुत देर हो चुकी है कि डीलरशिप समझौते के खंड 68 के मद्देनजर, अयाचिकाकर्ता सं. 1 रिट कोर्ट के समक्ष इसका अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। किसी भी स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर करके, याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के, रिट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भी प्रस्तुत किया।

20. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसे लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना, तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

यह अनुवाद ऑर्टिफिशियल इंटिलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी बिलोची (आज.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।